न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 25/2021

बउनवान

मनीष विजय आयु 36 वर्ष पुत्र श्री महेश विजय जाति महाजन, निवासी लक्ष्मी विहार आवासीय कॉलोनी, शाहाबाद रोड़, बारां, जिला बारां, राज0 (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला–बारां (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री हरिओम चर्तुवेदी, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 22.07.2024

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 29.10.2020 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम बारां तहसील बारां की आराजी खसरा नम्बर 1724 रकबा 0.01 है., किस्म– गै0 मु0 रास्ता पर अतिक्रमी मानकर 5.5/– रूपये शास्ति आरोपित कर आराजी से बेदखली का आदेश पारित किया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व प्रक्रिया एवं विधि के संचायिका के सर्वमान्य सिद्धान्तों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलांट ने लक्ष्मीविहार आवासीय कॉलोनी का भूखण्ड संख्या 73 माप 25x40 वर्गफीट को जो निर्माणाधीन था, ए.वी.एस. कॉलोनाईजर ग्रुप शिवाजी नगर चौराहा, बारां से क्रय किया था। उक्त भूखण्ड खसरा नं0 1710 से 1720 में बसी आवासीय कॉलोनी, लक्ष्मी विहार का है। बाणगंगा नदी के विस्तार में गई भूमि के कारण पैमाइश का स्थायी बिन्दु बदल गया। हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तथ्य एवं विधि से असंगत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट ने ए.वी. एस. कॉलोनाईजर ग्रुप शिवाजी नगर बारां से 25x40=1000 वर्गफीट जो उनके द्वारा निर्माण करवाया है, उक्त मकान संख्या 73 क्रय किया गया था। उक्त ग्रुप ने 25x40=1000 वर्गफीट क्षेत्रफल मकान का भू आवंटन पत्र नगर परिषद् बारां से अपीलांट के पक्ष में जारी करवाने का आश्वासन दिया था। इस कारण अपीलांट अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.01.2021 को बहस हुई जिसमे न्यायिक निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालय हुकम सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान डी.एन.जे. 2006(1) राजस्थान पेज नं0 164 पेश की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने लक्ष्मी विहार आवासीय कॉलोनी की सीमाओ बाबत रिपोर्ट मंगवाने का आदेश दिया। तब से पत्रावली नगर परिषद बारां की रिपोर्ट में थी। पत्रावली में दिनांक 12.10.2020 के बाद कोई आदेशिका नहीं लिखी गई तथा [illegible] गई तथा अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27.01.2021 को हुई बहस के पूर्व ही [illegible]9.10.2020 को निर्णय पारित कर दिया। उक्त निर्णय छपे हुए परफोर्मे प[illegible] गया होने से निर्णय की परिभाषा में नहीं आता। अतः [illegible] अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.10.2020 प्रकरण संख्या 1090/[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.08.23 10:19:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख हेतु पूर्ण प्रयास करने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त नहीं होने पर हमने प्रकरण मे प्रस्तुत रेकार्ड के आधार पर ही बहस समाअत कर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

हमने बहस उभयपक्ष अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब को अधीनस्थ न्यायालय ने रेकार्ड पर नहीं लिया तथा छपे हुए परफोर्मे पर निर्णय पारित किया है जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता। अपीलांट ने ए.वी.एस. कॉलोनाईजर ग्रुप शिवाजी नगर बारां से 25x40=1000 वर्गफीट जो उनके द्वारा निर्माण करवाया है, उक्त मकान संख्या 73 क्रय किया गया था। उक्त ग्रुप ने 25x40=1000 वर्गफीट क्षेत्रफल मकान का भू आवंटन पत्र नगर परिषद् बारां से अपीलांट के पक्ष में जारी करवाने का आश्वासन दिया था। इस कारण अपीलांट अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को नगर परिषद बारां से लक्ष्मी विहार आवासीय कॉलोनी की सीमाओ बाबत रिपोर्ट मंगवाने का कथन किया था। परन्तु इससे पूर्व ही प्रकरण में दिनांक 29.10.2020 को निर्णय पारित कर दिया। अतिक्रमित वर्णित आराजी अपीलांट की क्रयशुदा आवासीय भूमि है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.10.2020 निरस्त फरमावें।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों बाबत कोई प्रमाण पत्रावली में पेश नहीं करना बताते हुये कथन किया कि यदि उक्त आराजी अपीलांट ने कॉलोनाईजर से क्रय की है तो उसे नगर परिषद द्वारा जारी भू आवंटन पत्र की प्रति पत्रावली में प्रस्तुत करनी चाहिये थी। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया, गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2020 को अपीलांट के अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे हैं जो कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका की प्रमाणित प्रति पर स्थित उनके हस्ताक्षर से प्रमाणित है। हम पेरोकार सरकार के इस कथन से भी पूर्णतया सहमत हैं कि यदि उक्त आराजी अपीलांट ने कॉलोनाईजर से क्रय की है तो उसे नगर परिषद द्वारा जारी भू आवंटन पत्र की प्रति हस्तगत पत्रावली में प्रस्तुत करनी चाहिये थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 1090/2020 में पारित आदेश दिनांक 29.10.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.08.23 10:19:27 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां